



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(79)DME/Estt./2017/Part III/1450

दिनांक 27.07.2020

आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉयमेंट रूल्स, 2017 के अन्तर्गत श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा दिनांक 07.07.2020 को आयोजित साक्षात्कार उपरान्त चयनित निम्न अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने उल्लेखित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर उपरोक्त एम्प्लॉयमेंट रूल्स के अधीन समेकित वेतन पर एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए होगा। उक्त कार्यकाल में एक बार में एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी जो कि अधिकतम दो वर्ष के लिए होगी :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	मेडिकल कालेज
1.	डा. रजत श्रीवास्तव	मेडिकल कालेज, भरतपुर
2.	डा. आर.के.आसेरी	मेडिकल कालेज, बाड़मेर

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

1. उपर्युक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 03 दिवस में कार्यग्रहण करेंगे।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में कार्यरत संस्था से रिलीफिंग लेटर प्राप्त कर कार्यग्रहण के समय संबंधित मेडिकल कालेज के एकेडमिक सेल को प्रस्तुत किया जावेगा।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करनी होगी साथ ही संबंधित मेडिकल कालेज के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करा कर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। यदि एक माह में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा मेडिकल परीक्षण/पुलिस सत्यापन नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएँ बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किए जाने के योग्य होंगी।
4. अवकाश, सामान्य बीमा, पेंशन, ग्रेज्यूटी एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सोसायटी के नियम लागू होंगे।
5. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

(शिवाजी स्वर्णकार)

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक : F1(79)DME/Estt./2017/Part III/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, जिला कलक्टर, भरतपुर/बाड़मेर, ।
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग ।
11. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, भरतपुर/बाड़मेर।
13. अधीक्षक, सम्बद्ध अस्पताल, मेडिकल कालेज, भरतपुर/बाड़मेर।
14. संबंधित चिकित्सक शिक्षक।
15. रक्षित पत्रावली।

1

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर